माननीय सुश्री हिमा कोहली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 18 मई, 2020 को सायं 6.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक मेंविडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया:

1. श्री सत्य गोपाल, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की ओर से श्री अजिमुल हक, विशेष सचिव.(गृह)............ **सदस्य।**
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली....................**सदस्य।**
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

एजेंडा : भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020 में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन– *In Re: Contagion of COVID-19* पर दिनांक 23.03.2020 और 13.03.2020 के आदेश

आइटम नंबर 1:– कैदियों और जेल स्टाफ की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान और उपचार, के संबंध में जांच करना

आरंभ में अध्यक्ष ने **न्यूज रिपोर्ट और रोहिणी जेल के एक जेल स्टॉफ और 16 कैदियों के कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) पाए जाने के संबंध में दिनांक 16.05.2020** के महानिदेशक (जेल) के पत्र के आधार पर महानिदेशक (जेल) से इस स्थिति से निपटने के लिए तुरंत उठाए जाने वाले कदमों के विषय में पूछा इससे पहले कि सब कैदीसंक्रमित हो जाएं।

श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि जेल प्रशासन समिति के द्वारा इससे पूर्व में हुई बैठकों में पास किए गए **दिशा निर्देशों, हिदायतों और निर्णयों**का पालन कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वे अब **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के विस्फोट/प्रसारको दिनांक 13.05.2020 तक** जेल परिसर के अंदर **रोकने** की स्थिति में थे।

उन्होने आगे सूचित किया कि समाज में इस वायरस के प्रसार,**कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** को रोकने के लिए उनके सर्वोतम प्रयासों और बहुमुखी दृष्टिकोण के बावजूद, जेल परिसर में हो गया जब एक कैदी **"K"** पोजिटिव पाया गया। उसने सूचित किया तब तुरंत जेल प्रशासन अपेक्षित कदम उठाए और 5 जेल स्टॉफ के सदस्यों के अतिरिक्त 19 कैदी जो **"K"** के साथ उस बैरक में रह रहे थे उनके आवश्यक **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** टेस्ट करवाए। उन्होने रिपोर्ट किया कि उनमें से 15 कैदी और 1 जेल स्टॉफ कोरोना पॉजिटिव पाये गये। उन्होने अध्यक्ष को बताया कि उक्त **"K"** कैदी जो कि दिनांक 11.05.2020 को सर्जरी के लिए दीनदयाल अस्पताल गया था उसके

पाजिटिव पाए जाने पर उसे कोविड–19 केसमर्पित अस्पताल जो कि LNJP अस्पताल है, में शिफ्ट कर दिया गया जहां उसे स्वास्थ्य लाभ हो रहा है।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उन्होने इस प्रकार के केसों के लिए प्रत्येक जेल में अलगाव वार्ड बनाए हैं। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के संदिग्धों के ***"Contact Tracing"*** के लिए सभी जेलों जिसमें रोहिणी जेल भी सम्मिलित है, के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। उन्होने सूचित किया कि इस केस में अन्य सभी 15 कैदियों को अलग से **एकांत में** रखा गया है और उन्हें अपेक्षित दवाईयां भी प्रदान की जा रही हैं। जो जेल स्टॉफ पॉजिटिव पाया गया था उसे घर में ही एकांत में रखा गया है। रोहिणी जेल के इन 15 कैदियों की अन्य कैदियों के साथ ***"Contact Tracing"*** अभी प्रक्रिया में है। इन सब के **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के आवश्यक टेस्ट करवाए जाएंगे। यदि आवश्यकता हुई तो अन्य कैदियों के, जो कि हाल ही में इन **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** पॉजिटिव केसों के संपर्क में आए होंगे उनके भी टेस्ट करवाए जाएंगे। हालांकि महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि से सभी 15 कैदियों के साथ –2 जेल स्टॉफमें लक्षण नही हैं।

समिति के सदस्यों ने जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर विचार विमर्श किया। यह विचार किया गया कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस**) जेल परिसर में केवल नए प्रवेशकों अथवा जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ एवं अन्य जेल परिसर में राशन या अन्य आवश्यक वस्तुएं देने के लिए जेल परिसर में प्रवेश करतें हैं, के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि पिछली बैठक में अपनाए गए निर्णयों के अनुसार नए प्रवेशकों को अलगाव वार्ड में रखना चाहिए जिससे कि उन्हे पहले से ही जेल के अंदर बंद कैदियों से **घुलने मिलने** से रोका जा सके। इस दिशा में अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जेल स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ, रखरखाव स्टॉफ और आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए परिसर में प्रवेश करने वाले भी आवश्यक सावधानी बरत रहें है जिससे कि वे जेल परिसर के अंदर के कैदियों से सीधे संपर्क में नही आ सकें।

पिछली बैठक में समिति को महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया था कि तिहाड़ के जेल न. 02 और मंडोली की जेल न. 13 को 21 वर्ष से अधिक नए पुरूष प्रवेशकों के लिए और उन नए कैदियों के लिए जिनकी आयु 18–21 वर्ष के बीच तिहाड़ की जेल न. 05 को अलगाव वार्ड के रूप में बनायाजाएगा। वहीं नई महिला कैदियों के लिए जेल न. 06 में अलग अलगाव वार्ड बनाए गए थे।

इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) से नए प्रवेशकों को दृष्टि में रखते हुए किसी जेल में अलग प्रकोष्ठों की उपलब्धता के विषय में पूछा जिसे एकांत प्रकोष्ठ में परिवर्तित किया जा सके और उन्हें 14 दिनों की प्रारंभिक अवधि में वहां रखा जा सके जिससे वे अन्य

कैदियों से घुल मिल न पाएं। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि मंडोली की जेल न. 15 में 280 कैदियों को रखने की क्षमता है, उसमें 248 व्यक्तिगत सेल (संलग्न शौचालयों के साथ) हैं। उन्होने आगे सूचित किया कि वर्तमान में इस जेल में 178 कैदी है (विचाराधीन कैदी –139, दोषी –38, नजरबंद –1)

अध्यक्ष के द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या इन्हें अन्य जेलों में शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि अलग–2 सेल वाले जेल न.15 को नए प्रवेशकों के लिए एकांत वार्ड के रूप में उपलब्ध करवाया जा सके। महानिदेशक (जेल) ने बताया कि ये सभी हाई रिस्क कैदी हैं, लेकिन तिहाड़की विभिन्न जेलों में इन्हें आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि इन जेलों में इन्हें रखने के लिए हाई रिस्क वार्ड है।

समिति के सदस्यों ने इस विषय पर विचार विमर्श किया और महानिदेशक (जेल) से फीडबैक प्राप्त होने के पश्चात यह निर्णय हुआ कि 178 कैदियों में से जो कि जेल न. 15 में बंद हैं इनमें से 18 दोषी सहायक के रूप में काम करतें हैं, वे इसी जेल में रहेंगे और बाकि 160 कैदी तिहाड़ की विभिन्न जेलों में इस प्रकार शिफ्ट किए जाएंगे।

केन्द्रीय जेल न. 1, तिहाड़	31कैदी
केन्द्रीय जेल न. 3, तिहाड़	45कैदी
केन्द्रीय जेल न. 4, तिहाड़	39कैदी
केन्द्रीय जेल न. 8 / 9, तिहाड़	45कैदी
कुल	***160***कैदी

अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) को निर्देश दिया कैदियों को भेजते समय जेल प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि बस की क्षमता से आधे या एक चौथाई लोगों से ज्यादा को न ले जाया जाए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि कैदियों में इस पारगमन के समय एक दूसरे से उचित दूरी का पालन किया गया।

जेल न. 15 के कैदियों के स्थानांतरण के पश्चात यह नए प्रवेशकों को एकांत प्रकोष्ठ / कमरे के रूप में उपलब्ध होगा। यहाँ नए पुरूष प्रवेशकों, जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है, की देखभाल की जाएगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पहले लिए गए निर्णयानुसार नए पुरूष कैदी जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है और नई महिला कैदियों को तिहाड़ की जेल न. 5 और 6 में क्रमशः अलग एकांत वार्ड में रखा जाएगा।

यह निर्णय लिया गया कि नए कैदियों को 14 दिन तक एकांत वार्ड में रखने के पश्चात ही अन्य कैदियों के साथ घुलने मिलने की आज्ञा दी जाएगी। जेल में बंद करने से पहले उनका थर्मल स्क्रीनिंग और चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा और चिकित्सीय आवश्यकता हुई तो उनका **CT-PCR**टेस्ट भी करवाया जाएगा।

अध्यक्ष के द्वारा विचाराधीन कैदी की अंतरिम जमानत की अवधि पूर्ण होने के पश्चात जेल परिसर में उसके आत्मसमर्पण के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में पूछा गया तो महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि ऐसे विचाराधीन कैदियों को जो अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर जेल परिसर में आत्मसमर्पण करतें हैं तो उन्हें नए कैदी के रूप में प्रवेश करवाया जाता है अनका चिकित्सीय परीक्षण होता है और उन्हें अलगाव वार्ड में रखा जाता है।

महानिदेशक (जेल) नेअध्यक्ष को उपायों के बारे में अवगत कराया कि कोविड–19(नोवेल कोरोना वायरस) के प्रकोप को रोकने के लिए जेल स्टॉफ, कैदी, जेल कर्मचारी और अन्य व्यक्ति आवश्यक सावधानी बरत रहें हैं और सामाजिक दूरी के सिद्धांत का गहनतापूर्वक पालन कर रहें हैं। उन्होने अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत कराया कि स्नान क्षेत्र, रसोई क्षेत्र, जेल टेलीफोन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ और कीटाणुनाशक के द्वारा उचित रूप से सेनेटाइज किया जा रहा है। उन्होने आगे बताया कि जेलों में स्थापित "पब्लिक एड्रेस सिस्टम" के माध्यम से कैदियों को आवश्यक सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है कि उन्हें **"क्या करना चाहिए क्या नही"**।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार जेल के अंदर बनने वाले साबुन, लिक्विड सोप, फिनाइल, मास्क और सैनिटाइजर सभी जेलों में रखने के अतिरिक्त जेजेबी और ऑब्जर्वेशन होम से प्राप्त मांग के अनुसार इन सभी सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में वहां भेजा गया है।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल स्टॉफ और कैदियों की जेल डॉक्टरों के द्वारा नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है और यदि डॉक्टर के द्वारा किसी को सलाह दी गई है तो वह तुरंत जेल अधीक्षक को सूचित करे और यदि वे किसी कैदी में कोविड–19 (नोवेल करोना वायरस) के लक्षण पाते है या किसी पर संदेह करतें है तो उसेICMRस्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी सलाह/दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। उन्होने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि जेलों में स्वच्छ सकारात्मक व्यवहार के अभ्यास, प्रचार और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त उन्होने कोविड–19 (कोरोना वायरस) के खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जैसेः

(ए) सभी बाहरी एजिसियों जिनमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, के दौरा करने पर रोक।

(बी) कैदियों के वार्ड से बाहर घूमने फिरने पर रोक।

(सी) कैदियों को रखने वाले क्षेत्रों को और स्टॉफ के आवासीय परिसर को नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित रखना।

(डी) सभी नए कैदियों को जेल में बंद करने से पहले सीपीआरओ में पूर्व जांच की जाती है।

(ई) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, मास्क, दस्ताने, अल्कोहल युक्त हैंड रब और साबुन की खरीद और वितरण।

(एफ) सभी जेलों में संदिग्ध कोविड–19(नोवेल कोरोना वायरस) के ***"Contact Tracing"*** के लिए **स्पेशल टास्क फोर्स** का गठन।

(जी) नए भर्ती कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग।

(एच) रसोई/कैंटीन में कर्मियों द्वारा रसोई की स्वच्छता और सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रकार से प्रयोग पर बल।

महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि जेल प्रशासन इन निर्णयों और सावधानियों का पालन करता रहेगा ताकि जेल परिसर में कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रकोप को रोका जा सके।

कमेटी महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से संतुष्ट है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

आइटम नंबर 2ः–जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ की स्क्रीनिंग के लिए उठाए गए कदम

जेल परिसर मेंकोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) का प्रवेश जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य और उनके माध्यम से होने की संभावना पर विचार करते हुए कैदियों में उसके प्रसार को रोकने पर समिति के द्वारा विचार–विमर्श किया गया।

अध्यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर कि जेल प्रशासन के द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं तो महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उन्होने जेल स्टॉफ और अन्य के माध्यम से कोविड–19 (कोरोना वायरस) कैदियों तक पहुंचने के खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

उन्होने बताया कि उपरोक्त सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी अपनाई जा रही हैं:–

(ए) जेल परिसर में प्रवेश करने से पूर्व जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ की थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं।

(बी) कैदियों का बाहर के लोगों से मिलना बहुत कम कर दिया गया है इसके लिए उन्होने कैदियों के जेल से बाहर जाने के साथ –2 बाहरी लोगों की जेल में आने पर पाबंदी लगा दी है।

(सी) किसी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर जेल स्टॉफ, सुरक्षा स्टॉफ, डाक्टरों और तकनीकी स्टॉफ के लिए मेडिकल एकांत की सुविधा प्रदान की गई है।

(डी) इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए मूल स्वच्छता के विषय में क्या करना चाहिए और क्या नही करना चाहिए इस संबंध में निरंतर जागरूकता का प्रसार स्टॉफ के बीच भी किया जा रहा है।

(ई) जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ के राज्य से बाहर से लौटने के पश्चात एकांत में रहने की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

(एफ) जेल स्टॉफ, मेंटेंनेंस स्टॉफ, सुरक्षा स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य किसी भी आवश्यक वस्तु की डिलीवरी के लिए जेलों में प्रवेश करने वाले सभी प्रवेशकों की कोविड–19 की स्क्रीनिंग के लिए मेडिकल स्टॉफ के द्वारा एक विशेष चेकलिस्ट तैयार की गई है।

(जी) जेल स्टॉफ, मेंटेंनेंस स्टॉफ, सुरक्षा स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य किसी भी आवश्यक वस्तु की डिलीवरी के लिए जेलों में प्रवेश करने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

(एच) मेंटेंनेंस स्टॉफ के साथ–2 जेल कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट प्रदान की गई है और उन्हे अपने संबंधित कर्तव्यों के दौरान ही पहनने के लिए निर्देशित किया गया है।

(आई) सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ–2 कैदियों से बातचीत करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए आगाह किया है।

कमेटी महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से संतुष्ट है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

आइटम नंबर 3:—जेलों में भीड़ कम करने के लिए पहले अपनाए गए मानदंडों के प्रभाव का जायजा

माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के द्वारा दिनांक 23.03.2020 को पारित आदेश केसाथ ही उच्चाधिकार समिति की बैठक दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020, 18.04.2020 और 05.05.2020 को अपनाए गए मानदंडों के आधार पर रिहा किये गए बंदियों का ब्यौरा समिति के समक्ष रखा गया। पहले अपनाए गए मानदंडों के अनुसार रिहा किए गए कैदियों कें अतिरिक्त समिति ने पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय के केस शीर्षकW.P. (Criminal)No.779/2020 के आधार पर व्यक्तिगत बांड पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों का अवलोकन किया जो इस प्रकार है —

दिनांक 18.05.2020 तक अंतरिम जमानत पर छोड़े गए कैदी	**2258**
माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P.(Criminal) No.779/2020में जमानत आदेशों में किए गए संशोधन के आधार पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदी	**310**
दिनांक 18.05.2020 तक आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए दोषी	**1069**
सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए दोषी	**41**
दिनांक 18.05.2020 तक अंतरिम जमानत/ पैरोल/ सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए कुल दोषी	**3678**

अध्यक्ष ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जेल प्रशासन और डीएलएसए के द्वारा पूर्व की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का पालन और किए गए प्रयासों की सराहना की।

आइटम नंबर 4:—दिनांक 05.05.2020 की बैठक में अपनाए गए निर्णय के आधार पर विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के संबंध में फीडबैक

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा,ने समिति को सूचित किया कि दिनांक 05.05.2020 की बैठक में उन्हें दिए गए आदेशानुसार उन्होने दिनांक 06.05.2020 को माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय को पत्र लिखा था। उन्होने आगे सूचित किया कि उस पत्र में समिति के द्वारा दी गई सिफारिशें माननीय रजिस्ट्रार जनरल को बताई गई जिसमें कहा गया था कि उच्चाधिकार समिति के द्वारा पहले अपनाए गए मानदंडों के आधार पर 2200 विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत प्रदान की गई, कोविड—19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रसार के खतरे को देखते हुए, जो अभी भी बहुत बढ़ा हुआ है, अब बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण करने वाले

व्यक्तियों के रैपिड टेस्ट करवाने की सुविधा अभी भी उपलब्ध नही है।

उक्त पत्र के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक विशेष पीठ का गठन किया और उस विशेष पीठ के***Writ Petition (Civil) Number 3080/2020,*** titled ***"Court on its own Motion Vs. Govt. of NCT of Delhi & Anr."***इसके दिनांक 09.05.2020 के आदेश में विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत को उनकी पूर्व अंतरिम जमानत समाप्त होने की तारीख से 45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया।

समिति दिनांक 05.05.2020 के आधार पर लिए गए निर्णय के परिणाम से संतुष्ट है।

आइटम नंबर 5:– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दोषियों को प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल को आगे 8 सप्ताह के लिए बढ़ाने के संबंध में फीडबैक

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को सूचित किया कि माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए के निर्देश पर उन्होने महानिदेशक (जेल) को दिनांक 08.05.2020 को पत्र लिखा था जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को अधिसूचना सं. No.F.18/191/2015/HG/1379/1392 दिनांक 23.03.2020 में सुधार/संशोधन के लिएएक पत्र/सिफारिश भेजे।जिसमें आपातकालीन पैरोल को नियम 1212ए में शामिल किया गया था, जिससे कि पहले दी गई आपातकालीन पैरोल को 8 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जा सके।यह इस समय की आवश्यकता है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि उस पत्र के आधार पर जो कि सदस्य सचिव, डीएसएलएसए से प्राप्त हुआ था। उन्होने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए दिनांक 11.05.2020 को पत्र लिखा था।

श्री अजिमुल हक, विशेष सचिव(गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दो दिनों के भीतर अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर दिए जाएंगे और दोषियों को पहले प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल समाप्त होने से पूर्व 8 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी।

अध्यक्ष ने विशेष सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि आवश्यक कार्यवाही जल्दी हो और संशोधित नियमो/अधिसूचना की प्रतिलिपि महानिदेशक (जेल) और सदस्य सचिव, डीएसएलएसए को भेज दी जाए।

आइटम नंबर 6:–अंतरिम जमानत के मद्देनजर जो कैदी छोड़े जा सकतें हैं उनके लिए एक नए वर्ग का निर्धारण

समिति के सदस्यों ने विचार किया कि पहले अपनाए गए मानदंडों के आधार पर आज तक 3678 कैदी/दोषी/विचाराधीन कैदी अंतरिम जमानत/पैरोल पर रिहा किए जा चुके हैं।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा ने समिति को दिनांक 16.05.2020 के पत्र/सिफारिश के विषय में सूचित किया जिसमें महानिदेशक (जेल) ने बताया कि दिल्ली की रोहिणी जेल में कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) का पहले पॉजिटिव केस का पता चला। उन्होने सूचित किया कि दिनांक 10.05.2020 को एक कैदी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में intestinal problem के कारण भर्ती करवाया गया जहां उसका आपरेशन किया गया था। आपरेशन के पश्चात दिनांक 11.05.2020 को कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) भी टेस्ट किया गया था और दिनांक 13.05.2020 को वह पॉजिटिव पाया गया। महानिदेशक (जेल) के द्वारा यह भी कहा गया कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवाने से पूर्व यह कैदी जिसका नाम **"K"** है, 19 अन्य कैदियों के साथ बैरक में रह रहा था। इन सब के साथ 5 जेल स्टॉफ का भी कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) टेस्ट किया गया था। उन्हाने सूचित किया कि प्राप्त रिपोर्टानुसार 15 कैदी और 1 जेल स्टॉफ कोविड–19 पॉजिटिव पाया गया।

इस परिस्थिति को देखते हुए दिनांक 16.05.2020 के उनके पत्र जिसमें महानिदेशक (जेल) ने अनुरोध किया है कि पहले अपनाए गए मानदंडों को और लचीला बनाने की आवश्यकता है। जिससे कि जेलों में और भीड़ कम हो सके क्योंकि अभी तक जेल की अधिकतम क्षमता से अधिक कैदी जेलों में रह रहें हैं।

आज की परिस्थिति को देखते हुए कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रसार को रोकने और कैदियों के बीच सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए समिति की यह रॉय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए मानदंडो को और अधिक लचीला बनाए जाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष के निर्देश पर महानिदेशक (जेल) से **प्रभावी विश्लेषण के** रूप में विचाराधीन कैदियों के लिए प्रस्तावित लचीले मानदंड की सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तदानुसार वह प्रस्तुत की जाती है।

दिनांक 16.05.2020 के पत्र के द्वारा महानिदेशक (जेल) के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर समिति के सदस्यों के द्वारा विचार विमर्श किया जाता हैऔर निर्णय लिया जाता है कि आज की परिस्थितियां जिनमें आज हम हैं, को दृष्टि में रखते मुख्यतः **व्यक्तिगत बांड** पर निम्नलिखित मानदंडों में आने वाले कैदी को अब **45 दिनों की अंतरिम जमानत** प्रदान करने पर विचार किया जाएगा –

(i) *धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत विचाराधीन कैदी जो कैदी मुकदमें का सामना कर रहें है, जो दो से अधिक वर्षो से जेल में है और वे किसी अन्य केस में सम्मिलित नही हैं।*

(ii) *धारा 304 आईपीसी के अंतर्गत विचाराधीन कैदी जो कैदी मुकदमें का सामना कर रहें है जो एक से अधिक वर्ष से जेल में है और वे किसी अन्य केस में सम्मिलित नही हैं।*

(iii) *धारा 307 या 308 आईपीसी के अंतर्गत विचाराधीन कैदी जो कैदी मुकदमें का सामना कर रहें है जो छः महीने से अधिक समय से जेल में है और वे किसी अन्य केस में सम्मिलित नही हैं।*

(iv) *विचाराधीनकैदी/रिमांड कैदी जोचोरी के केस में मुकदमें का सामना कर रहें है और 15 दिनों से अधिक जेल में हैं।*

(v) *पुरूष विचाराधीन कैदी (जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है) जो एक मुकदमें का सामना कर रहें हैं सिवाय निम्नवर्णित लोगों को छोड़कर, और छः महीने से अधिक समय से जेल में है, औरकिसी अन्य केस में सम्मिलित नही हैं।*

(vi) *महिला विचाराधीन कैदी (जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है) जो एक मुकदमें का सामना कर रहें हैं* ***सिवाय निम्नवर्णित लोगों को छोड़कर****, और छः महीने से अधिक समय से जेल में है, और किसी अन्य केस में सम्मिलित नही हैं।*

आगे यह भी निर्णय लिया गया कि विचाराधीन कैदियों की निम्नलिखित श्रेणी यदि उपरोक्त मानदंडों के अंतर्गत अथवा पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों में आते भी हैं तो भी उन पर विचार नही किया जाएगा।

1. *वे विचाराधीन कैदी जिनका एनडीपीएस अधिनियम के तहत मध्यस्थ/बड़ी मात्रा में वसूली के लिए परीक्षण चल रहा है।*
2. *वे विचाराधीन कैदी जो पोकसो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मुकदमें का सामना कर रहें हैं।*
3. *वे विचाराधीन कैदी जो धारा 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी और 376 ई और एसिड हमले के तहत अपराधों के लिए मुकदमें का सामना कर रहें हैं।*
4. *वे विचाराधीन कैदी जो विदेशी नागरिक हैं।*
5. *वे विचाराधीन कैदी जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी अधिनियम)/ पीएमएलए/मकोका के तहत मुकदमें का सामना कर रहें हैं, और*
6. *CBI / ED / NIA / दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ, अपराध शाखा, SFIO आतंकवाद से संबंधित मामलों, दंगे के मामले, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम आदि के तहत मामलों में जांच चल रही है।*

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि इन नए मानदंडों के आधार पर लगभग 1500–1700 विचाराधीन कैदी लाभान्वित होंगे और उनकी रिहाई से जेल की आबादी भी कम होगी।

अध्यक्ष ने डीएसएलएसए के सदस्य सचिव को निर्देश दिया उपरोक्त लचीले मानदंड में आने वाले विचाराधीन कैदियों के आवेदन डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किए जाए। आवेदन के साथ कस्टडी वारंट की प्रतिलिपि भी संलग्न हो।

उपरोक्त श्रेणी में आने वाले विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत पर, जेल अधीक्षक की ओर से उसकी हिरासत की अवधि के दौरान अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही, विचार किया जाएगा। तभी वह इस उपरोक्त श्रेणी के योग्य हो पाएगा।

अध्यक्ष ने डीएसएलएसए के सदस्य सचिव, कंवलजीत अरोड़ा को निर्देश दिया कि वे जिला जजों से नामित कोर्ट/विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को लगाने का अनुरोध करें। यदि संभव हो, तो समिति द्वारा अभिलिखित मानदंडों कें आधार पर मुख्यतः डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ताओं के द्वारा अंतरिम जमानत की सुनवाई के लिए आवेदन लगाए जाएं। जिससे कि आवेदनों का शीध्र निपटारा हो सके।

यदि विचाराधीन कैदी उपरोक्त मानदंडो के साथ –2 पहले अपनाए गए मानदंडों के अंतर्गत आता है और कोर्ट उससे संतुष्ट है तो उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। उसे जेल अधीक्षक के संतुष्ट होने पर व्यक्तिगत बांड पर भी छोड़ा जा सकता है जिससे सरकार की सामाजिक दूरी की नीति का भी पालन किया जा सकेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020,18.4.2020,05. 052020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को प्रभावित नही करेगी। जो विचाराधीन कैदी इन श्रेणियों में नही आतें हैं वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

आइटम नंबर 7:– प्राप्त रिप्रजेंटेशन पर विचार

कोविड–19 वैश्विक महामारी को देखते हुए गैर जधन्य अपराध जिसमें छल, कपट एवं अन्य आर्थिक अपराधों सम्मिलित विचाराधीन कैदियों के लिए राहत की मांग

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव ने समिति को दिनांक 16.05.2020 कीरिप्रजेंटेशन से अवगत करवाया जिसे सुश्री नीहा नागपाल एवं श्री विश्वेन्द्र तोमर, अधिवक्ता ने समिति के अध्यक्ष को

संबोधित करते हुए भेजी थी जिसमें कोविड –19 वैश्विक महामारी को देखते हुए गैर जधन्य अपराध जिसमें छल, कपट एवं अन्य आर्थिक अपराधों सम्मिलित विचाराधीन कैदियों के लिए राहत की मांग की गई है।

समिति के सदस्यों ने इसरिप्रजेंटेशन को ध्यानपूर्वक देखा जो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के दिनांक 11.05.2020 की बैठक के कार्यवृत के आधार पर प्रार्थी के द्वारा दायर की गई है। उस रिप्रजेंटेशन में प्रार्थी ने विचाराधीन कैदियों के एक वर्ग पर पक्षपात का आरोप लगाया है,जो कि छल, कपट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और PMLA के अंतर्गतआने वाले केसों के लिए मुकदमों का सामना कर रहें हैं।

इसरिप्रजेंटेशन पर विचार करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***Suo Motu Petition(Civil) No. 1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19*** में दिनांक 23.03.2020 के आदेश का उल्लेख करना उचित है जिसके अंतर्गत उच्चाधिकार समिति का गठन हुआ था। उसे निम्न प्रकार से पढ़ा गयाः

> *"हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येकराज्य/केन्द्र शासित प्रदेशएक उच्चाधिकार समिति का गठन करेगा जिसमें शामिल होंगे (1)राज्य विधिक सेवाएं समिति के अध्यक्ष (2) प्रधान सचिव (गृह/जेल), जो भी पदनाम के रूप में जाना जाता है (3) महानिदेशक (जेल), यह निर्धारित करने के लिए कि किस श्रेणी के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर किस अवधि के लिए रिहा किया जा सकता है, जो कि उचित हो। जैसे कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश उन कैदियों को रिहा करने पर विचार करतें हैं जो कि अपराधी या अपराधों के लिए विचाराधीन है, जिनके लिए निर्धारित दंड 7 साल या उससे कम है, दंड के साथ या दंड के बिना और कैदी अधिकतम के स्थान पर न्यूनतम वर्षों के लिए अपराधी ठहराया हुआ है।*
>
> *यह स्पष्ट किया जाता है कि यह हमउच्चाधिकार समिति पर छोड़ देते है कि वह वर्ग/श्रेणी के कैदियों पर विचार करे, कि किसे छोड़ा जाना है जैसा कि ऊपर कहा गया है,* ***अपराध की प्रकृति, सजा के वर्ष, जिसके लिए उसे सजा दी गई है अथवा अपराध की गंभीरता, जिसका उस पर आरोप लगा है और वह मुकदमे का सामना कर रहा/रही है अथवा अन्य कोई उचित कारण जिसे समिति उचित समझती है।****"*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त याचिका को निरस्त करते हुए इसके बाद के दिनांक 13.04.2020 के आदेश में उनके पहले के आदेश को स्पष्ट किया जो इस प्रकार है:

> *"हम स्पष्ट करतें हैं कि हम राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को अनिवार्य रूप से कैदियों को उनकी जेलों से रिहा करने का निर्देश नही दे रहें हैं। उपरोक्त आदेश में हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करने का था कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश इस समय देश में फैली महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जेलों की स्थिति का आकलन करें और कुछ कैदियों को रिहा करें इस उद्देश्य के लिए वह रिहा किए जाने वाले कैदियों के वर्गीकरण पर विचार करे।"*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 23.3.2020 में दी गई टिप्पणियों/निर्देशों को अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह आंकने के लिए उच्चाधिकार समिति को पूर्ण अधिकार है कि कैदियों के किस श्रेणी/वर्ग को अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर ही नही बल्कि अपराध की प्रकृति और अन्य कोई संबंधित कारकों पर निर्भर करता है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के दिनांक 13.04.2020 के निर्देश को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को अनिवार्य रूप से कैदियों को उनकी जेलों से रिहा किए जाने का निर्देश नही दिया गया है।

इस प्रकार कोई भी कैदी चाहे वह किसी भी वर्ग/श्रेणी का क्यों न हो वह इसमें आता है और उसके अपराध की प्रकृति जो भी है जिसके लिए वह मुकदमें का सामना कर रहा है वह जेल से रिहा होने के लिए अधिकार के रूप में उसकी मांग/दावा नही कर सकता।

इस समिति ने पहले की बैठकों में अपने निर्णय पर पहुंचने के साथ–2 उपरोक्त जमानत पर कैदियों की श्रेणियों को जारी रखने के लिए आज मापदंड तय करने के दौरान, दिल्ली की जेलों की धारण क्षमता, बैठकों की तारीखो तक मौजूद क्षमता और अपराध की प्रकृति जिसके लिए वह जेल में बंद हैं, को ध्यान में रखा था। समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की श्रेणी/वर्ग, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI / ED / NIA* / दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा करने के विचार क्षेत्र से बाहर रखा गया। समिति द्वारा उक्त निर्णय केवल संबंधित कारको पर विचार करने के पश्चात और उद्देश्य संतुष्टि पद पहुंचने के आधार पर लिया गया। मानदंड को अपराध

के वर्ग/श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया था न कि वह एक **विशेष कैदी केंद्रित दृष्टिकोण** था।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के उद्देश्य से कैदियों का एक उचित वर्गीकरण करना जिसके आधार पर कुछ कैदियों को रिहा किया जाएसभी कैदियों को नही।

इन सभी को दृष्टि में रखते हुए समिति की यह राय है कि रिप्रजेंटेशन मेरिट पर नही है तदानुसार अस्वीकृत की जाती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020,18.4.2020,05. 052020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को प्रभावित नही करेगी। जो विचाराधीन कैदी इन श्रेणियों में नही आतें हैं वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी को संबंधित न्यायालय में अपने मुवक्किलों की जमानत की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है जो कि जब भी दायर की जाएगी तो कानून के अनुसार उस पर मेरिट पर विचार किया जाएगा।

समिति ने कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त रिप्रजेंटेशन लगाने वाले प्रार्थियों को इस संबंध में यह समस्त जानकारी प्रदान करें।

तदानुसार यह हल किया जाता है।

आइटम नंबर 8: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

(ए) सजा समीक्षा बोर्ड की मीटिंग

अध्यक्ष की अनुमति से महानिदेशक (जेल) समिति के संज्ञान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.05.2020 के आदेश केस शीर्षक ***Writ Petition (Civil) No.3095/2020, titled "Amit Sahni Vs. The State (Govt. of NCT of Delhi) &Anr.".***लाए।

समिति के अध्यक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.05.2020 के आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ा और महानिदेशक (जेल) और विशेष सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से पूछा कि सजा समीक्षा बोर्ड की अंतिम मीटिंग कब आयोजित की गई थी।

महानिदेशक (जेल) और विशेष सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने सूचित किया कि सजा समीक्षा बोर्ड की दो मीटिंग इस वर्ष में दो बार आयोजित की गई थी, पहली 28.02.2020 को और वहीं दूसरी मीटिंग 11.05.2020 को आयोजित की गई थी। जिसमें कुछ दोषियों के लिए माफी/सजा की समीक्षा के लिए सिफारिश की गई थी। विशेष सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,

दिल्ली ने समिति को सूचित किया कि वे माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के कार्यालय से फाइल जल्दी ही प्राप्त करेंगे। विशेष सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने अध्यक्ष को बताया कि वे सजा समीक्षा बोर्ड की अगली मीटिंग लगभग जून,2020 के प्रथम सप्ताह में आयोजित करेंगे।

अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) और विशेष सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में उचित कार्यवाही करें जिससे योग्य दोषियों पर जल्द ही विचार किया जा सके और यदि सहमति हो तो उन्हें रिहा कर दिया जाए जिससे जेल में भीड़ कम हो सके।

(बी) रिहा किए गए विचाराधीन कैदियो/दोषियों का उनके घर पर सुरक्षित पारगमन

समिति के अध्यक्ष ने भाग लेने वाले सदस्यों को माननीय सर्चोच्च न्यायालय के दिनांक 13.04. 2020 के आदेश में दी गई टिप्पणियों को याद दिलाते हुए कहाः

1. *कोई भी कैदी जो करोना वायरस से संचारी रूप से पीड़ित हो तो उसे छोड़ा नही जाएगा। इस उद्देश्य से उचित टेस्ट करवाए जाएंगे।*
2. *कैदियों को भेजते समय सामाजिक दूरी के सभी नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा जैसे कि बस की क्षमता से आधे या एक चौथाई से अधिक को परिवहन की आज्ञा नही दी जाएगी और यह सुनिशचित किया जाएगा कि जो यात्री कोरोना वायरस से मुक्त पाए जाएगे वे भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे।*

माननीय अध्यक्ष ने पूछा कि अंतिम बैठक में अपनाए गए निर्णयों के आधार पर क्या अंतरिम जमानत/पैरोल/पर छोड़े गए विचाराधीन कैदी/दोषियों जो अन्य राज्यों से थें, को रिहा करते समय उन्हें उचित परिवहन की सुविधा प्रदान की गई या नही जिससे कि वे अपने घर सुरक्षित पहुँच जाएं।

इस विषय में महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि 155 कैदियों कीसूची जो जेल प्रशासन के द्वारा DAP III Battalionदिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को उन्हे उनके मूल स्थान पर सुरक्षित पारगमन के लिए दी गई उनमें से 65 कैदियों के लिए परिवहन की व्यवस्था कर दी गई थी वे अपने–2 घरों में दिनांक 05.05.2020 तक सुरक्षित पहुंच चुके हैं।उसके पश्चात अंतिम प्रस्ताव के अनुसार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अनुरोध पर रेल मंत्रालय द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए प्रदान की गई रेल सुविधाओं द्वारा 2 कैदी मध्यप्रदेश, 33 बिहार और 15 उतर प्रदेश चले गए।

महानिदेशक (जेल) के द्वारा सूचित किया गया कि ये कैदी जेल से रेलवे स्टेशन दिल्ली पुलिस की DAP III Battalion के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए गए।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और उनके संबंधित रेजिडेंट कमीशनर को पहले से ही किए गए अनंरोध के आधार पर 08 कैदी जो वेस्ट बंगाल से संबंध रखतें हैं, उम्मीद है किवे आने वाले सप्ताह में ट्रेन ले लेंगे।

महानिदेशक (जेल) और विशेष सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने आश्वासन दिया कि माननीय सर्चोच्च न्यायालय के दिनांक 13.04.2020 के द्वारा दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त भेजने के समय में सामाजिक दूरी के सभी नियमों का पालन किया जाएगा।

तदानुसार यह हल किया जाता है।

बैठक के कार्यवृत्त का पालन सभी संबंधितों के द्वारा किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संदीप गोयल **महानिदेशक (जेल)**	**श्री अजिमुल हक** **विशेष सचिव (गृह)**	**कंवलजीत अरोड़ा** **सदस्य सचिव** **डीएसएलएसए**

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली,
कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 18.05.2020 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक,
डीएसएलएसए